न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं(: 117/2017

अनवान :

रति ाम पुत्र श्री राजू जाति जाट निवासी पालड़ी तहसील भादरा जिला हनु ानगढ़ (राजस्थान)

– **प्रार्थी**

बनाम

राज स्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– **अप्रार्थी**

आवेदन बाबत नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव एवं
श्री रोहताश सहारण : **प्रार्थी**
पेरोकार राज : **अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 5/2/18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि गांव पालड़ी के खाता सं0 60/(1 के खसरा सं0 17 की 1.518 है0 खसरा सं0 79 की 0.341 है0 खसरा सं0 100 ो 14.826 है0, खसरा सं0 103 की 3.390 है0 खसरा सं0 199 की 2.404 है0 कुल :2.479 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खाता में प्रार्थी रतीराम पुत्र श्री राजू व नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि प्रार्थी के पिता राजू के गुजरने के बाद में उनके तीन पुत्रों, मोमन, त सुख एवं प्रार्थी जिसे बचपन में घर में रतू नाम से पुकारा जाता था, के नाम बहिर ा बराबर खातेदारी है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रतीराम है जो राजस्व रिकार्ड में सहबन से रतू के नाम से दर्ज हो गया है। प्रार्थी का असली नाम रतीराम है तथा टरलिस्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा वोट पहचान पत्र तथा अन्य सरकारी कार्ड में सभी जगह प्रार्थी का नाम रतीराम है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी में प्रार्थी ा नाम सहबन से रतू दर्ज है, जो लिपिकिय भूलवंश गलत दर्ज हो गया है। इस ाबत ग्राम पंचायत भाडी का प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है, जिससे स्पष्ट है के रतीराम व रतू एक ही आदमी है। इसके अलावा गांव मालकरा की जमाबंदी म्वत् 2070–73 में दर्ज खाता सं0 107/103 में भी दर्ज भूमि में प्रार्थी का नाम राज ा रिकार्ड में रतीराम सही तौर से नाम दर्ज है।

अब प्रार्थी ने केसीसी बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल ली तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी का नाम रतीराम की जगह रतू गलत तोर से दर्ज कर दिया गया है। उक्त नाम लिपिकिय भूलवंश कम्प्युटर की जमाबंदी बनाते समय गलती से दर्ज हुआ है जो काबिल दुरूस्त है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में राकेश कुमार पुत्र रिशालसिंह व संजय कुमार पुत्र तस्वीरसिह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम पालड़ी के खाता सं0 60/61 सम्वत् 2073–76, चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम मालकस खाता सं0 107/103 सम्वत् 2070–73, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, चित्रप्रति वोटर आई कार्ड, चित्रप्रति आधार कार्ड, असल प्रति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत भाडी पेश किये।

बहस वकील सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने ग्राम पालडी के खाता सं0 60/61 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपना सही नाम रतीराम होना अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में समर्थन में प्रस्तुत चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, चित्रप्रति वोटर आई कार्ड, चित्रप्रति आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम रतीराम अंकित है एवं असल प्रति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत भाडी व साक्ष्य में प्रस्तुत अपने शपथ पत्रों में राकेश कुमार व संजय कुमार ने भी प्रार्थी का सही नाम रतीराम होना अंकित किया गया है एवं प्रस्तुत रेवेन्यु रिकार्ड चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम मालकस खाता सं0 107/103 सम्वत् 2070–73 से भी प्रार्थी का सही नाम रतीराम होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि गांव पालड़ी के खाता सं0 60/61 में कुल 22.479 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रतू की जगह रतीराम दर्ज कर दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़